रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2006/फाल्गुन 10, 1927
No. 75] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2006/PHALGUNA 10, 1927

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2006

सा.का.नि. 126(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्ण-कालिक और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रसार भारतीय (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्ण-कालिक और अंश-कालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 में,—

(i) नियम 13 के उपनियम (1) में "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 13 के उपनियम (2) "वास्तविक रूप से उपगत टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा" शब्दों के स्थान पर "यदि कोई कार्यालय परिवहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वास्तविक टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 14 में,—

(क) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह है कि होटल वास-सुविधा संबंधी व्यय प्रति रात्रि पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होंगे"।

(ख) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह है कि होटल वास-सुविधा संबंधी व्यय प्रति रात्रि पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होंगे"।

[फा. सं. 12018/8/2001-बीए (पी)]

एन. बैजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 863(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2006

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32, read with Sub-section (7) and (8) of Section 6, of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following amendments in the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members, Rules, 2000,—

(i) in rule 13, in sub-rule (1), for the words "rupees one thousand" the words "rupees two thousand" shall be substituted;

(ii) in rule 13, in sub-rule (2), for the words "reimbursement of actual taxi fare incurred" the words "reimbursement of actual taxi fare if no office transport is provided" shall be substituted.

(iii) in rule 14,—

(a) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the expenses on hotel accommodation shall not exceed rupees five thousand per night".

(b) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the expenses on hotel accommodation shall not exceed rupees five thousand per night".

[F. No. 12018/8/2001-BA(P)]

N. BAIJENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 863(E), dated the 10th November, 2000.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.